वित्तीय स्वीकृति

संख्या-7/2021/1059/एक-9-2021

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 5 अगस्त, 2021**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-52 के लेखा शीर्षक-2059 एवं 4059 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-301/12-भवन-4/भू-अभि0 दिनांक 05.07.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2021-22 में संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-2 में उल्लिखित लेखा शीर्षक एवं मदों के अन्तर्गत कॉलम-3 में बजट प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कॉलम-4 में उल्लिखित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल एवं फाइनेंन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में प्राविधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1059(1)/एक-9-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।**
3. **मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।**
4. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**
5. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5**
6. **राजस्व अनुभाग-6**
7. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1059/एक-9-2021 दिनांक 5 अगस्त, 2021 का परिशिष्ट

(धनराशि लाख रूपये में)

कॉलम-1	कॉलम-2	कॉलम-3	कॉलम-4
क्र0	लेखाशीर्षक/मद	प्राविधानित धनराशि (लाख में)	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1.	2059-80-053-04-भू-अभिलेखों के जिला कार्यालयों के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण	80.00	80.00
2.	4059-01-800-05-भू-अभिलेखों के अभिलेखागारों के लघु निर्माण कार्य-25-लघु निर्माण कार्य	10.00	10.00
	योग	90.00	90.00

(रूपये नब्बे लाख मात्र)

(महेन्द्र सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।